

कोर्ट के आदेश से लोकपाल के गठन की उम्मीद बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय लोकतंत्र में लोकपाल के जन्म की उम्मीदें बढ़ गई हैं, हालांकि यह तय नहीं है कि वह कब जन्म लेगा और कितना स्वस्थ होगा। अदालत ने सरकार की उन सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया है, जिनके आधार पर एनडीए सरकार ने अपने गठन के तीन साल बाद भी सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के लिए बनी इस संस्था के जन्म को मुलतवी कर रखा है। केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के मुताबिक यह तर्क भी दिया था कि लोकसभा में विपक्ष का नेता न होने के कारण बिना संशोधन के उस संस्था का निर्माण नहीं हो पा रहा है। न्यायालय ने कहा है कि लोकपाल की नियुक्ति विपक्ष के नेता और उन तमाम संशोधनों के बिना भी हो सकती है, जिन्हें संसद की स्थायी समिति ने प्रस्तावित कर रखा है और एनडीए सरकार उन्हें मुद्दा बनाकर लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर रही है। जहां विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में लोकपाल न नियुक्त किए जाने को सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण की संस्था कामन कॉज ने मुद्दा बनाया था वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर विपक्ष को दरकिनार किए जाने की आशंका भी जताई है। उनका कहना है कि संशोधनों के माध्यम से धड़ाधड़ कानून बनाने वाली सरकार एक अध्यादेश जारी करके लोकपाल बना सकती थी। हकीकत तो यह है कि लोकपाल जैसी संस्था को कोई भी पार्टी तभी पसंद करती है जब वह विपक्ष में होती है। सत्ता में आते ही वह उसके औचित्य पर तमाम तरह के सवाल उठाने लगती है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा सभी ने लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति में अपने-अपने तरीके से अड़ंगे लगाए हैं। विडंबना तो यह है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल गठित करने के लिए धरती आसमान एक कर दिया था, वे अब इसका नाम नहीं लेते। हालांकि उनकी दलील यह भी है कि यह वैसा ताकतवर लोकपाल नहीं है जैसा वे चाहते थे और असली लोकपाल तो जन-लोकपाल होगा, लेकिन असली सवाल यह है कि कठिन और लंबे आंदोलन और संसदीय प्रयासों के बाद जो संस्था इस देश के लोकतंत्र और जनता को हासिल हुई है उसे क्यों न मूर्ति रूप दिया जाए? अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टरी के बाद भी लोकपाल का जन्म कब होगा और वह किस तरह काम करेगा ?

नवदुनिया

Date: 29-04-17

स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुरूप

नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति इस तरह तैयार की गई है, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से साधा जा सके।

सेहत के मोर्चे पर सुधार का संकल्प



जेपी नड्डा
letter@naidunia.com

नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ जीवन पर जोर देने के साथ मरीज की देखभाल से लेकर कल्याण तक पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य हमारे समाज के वंचित लोगों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशील चिकित्सा प्रणाली प्रदान करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार हेल्थ सेक्टर पर देश की जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हिस्सा खर्च करेगी।

हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे आसपास के वातावरण और हमारी जीवनशैली से प्रभावित होता है। एक समय हमारे पूर्वज संक्रमणजनित बीमारियों जैसे प्लेग, चेचक, कुष्ठ रोग और रेबीज आदि से भयभीत रहते थे। शोधकर्ताओं ने इन संक्रामक बीमारियों का बारीकी से अध्ययन किया और उससे मिले ज्ञान को अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिया। अतीत में संक्रमण से मुकाबला करने का मुख्य तरीका यह था कि बीमारियों से पीड़ित लोगों को अक्सर समाज से अलग करके अकेले स्थान पर एक दुखदायी मौत मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। समय के साथ टीकाकरण और औषधीय पौधों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसका व्यापक लाभ मिला और लोगों का नजरिया बदला। जल्द ही संक्रामक रोगों से सुरक्षा और उनकी रोकथाम पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा।

आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास ने कई घातक रोगों के प्रभाव को कम किया है। पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान बचाने के लिए कुछ सालों में ही रोग प्रतिरोधक टीकों को दुनिया के सबसे सफल और प्रभावी स्वास्थ्य उपार्यों में से एक के रूप में मान्यता मिली है। विश्व स्वास्थ्य संसद ने मई 2012 की एक बैठक के दौरान विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का समर्थन किया। तब से ही प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण के महत्व व बाल स्वास्थ्य में इसकी भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल का अंतिम हफ्ता दुनियाभर में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।

पिछली शताब्दी में टीकाकरण से होने वाले स्वास्थ्य लाभ सार्वजनिक रूप से कई बार सिद्ध हुए हैं। जन-टीकाकरण के कारण स्मॉल पॉक्स यानी चेचक अब एक अतीत की बीमारी हो गई है। जब भी कोई महामारी फैलती है तो वैज्ञानिकों को उसकी रोकथाम के लिए टीके की खोज करने का काम सौंपा जाता है, चाहे वह सार्स हो, एच1एन1ए हो या इबोला। उच्च

टीकाकरण कवरेज ने कई संक्रामक रोगों को मिटा दिया है। हालांकि कुछ विकसित देशों में टीकाकरण के कम कवरेज की वजह से संक्रामक बीमारियों का फिर से उभार देखा जा रहा है। टीके की सफलता के हार्लिया उदाहरणों में से एक भारत है जो सफल टीकाकरण अभियानों व एक मजबूत निगरानी नेटवर्क के बाद पोलियो-मुक्त देश घोषित कर दिया गया है।

टीकाकरण तभी प्रभावी होता है, जब वहां कुछ बुनियादी शर्तें पूरी हों। जैसे - एक सुरक्षित, प्रभावी और सस्ता उत्पाद, बड़े पैमाने पर समाज को एकजुट करके इसके बारे में सूचित करना, माता-पिता

एक नया टीका शीघ्र ही शुरू होने वाला है। मिशन इंद्रधनुष को पहली बार दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, जिसमें उन बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया जिनका टीकाकरण या तो हुआ ही नहीं या फिर आंशिक रूप से हुआ है और विशेष रूप से उन जिलों में, जहां पहुंचना मुश्किल होता है। पहले तीन चरणों में 28.7 लाख मिशन इंद्रधनुष सत्रों में 35 प्रांत और संघशासित प्रदेशों के 497 जिलों में 210 लाख बच्चों को टीका लगाया गया है, जिसमें से 55 लाख बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है। इसके अलावा इसी साल फरवरी

के बीच पेंटावैलेंट वैक्सीन (हेपेटाइटिस बी, हेमोफिलस इनफ्लुएंजा टाइप-बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटस टीकाएं), इंटरएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (आईपीवी), रोटावायरस टीके (आरवीवी) और खसरा-रूबेला (एमआर) वैक्सीन को पेश किया गया। इसमें पेंटावैलेंट वैक्सीन को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया है। जहां रोटावायरस डायरिया 78,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है, वहीं निमोनिया 1.8 लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये नए टीके हमारे बच्चों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने में मददगार साबित होंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के हर शाख की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने इस साल मार्च में देश के स्वास्थ्य लक्ष्यों का समर्थन करने की घोषणा की। इस नीति में बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ जीवन पर जोर देने के साथ-साथ बीमारी में मरीज की देखभाल से कल्याण तक पर जोर दिया गया है। यह नीति स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों को भी ध्यान में रखेगी जो मजबूत निगरानी नेटवर्क के माध्यम से बीमारी के बोझ को कम करेंगी। वास्तव में यह एक संवेदनशील सार्वजनिक प्रणाली है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम है। इसका उद्देश्य हमारे समाज के वंचित लोगों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशील चिकित्सा प्रणाली प्रदान करना है। नई स्वास्थ्य नीति यह उम्मीद जगाती है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार हेल्थ सेक्टर पर देश की जीडीपी के 2.5 प्रतिशत हिस्से को खर्च करेगी। भारत सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सबसे अधिक प्राथमिकता देती है। बच्चों के स्वस्थ जीवन और उनके उत्थान के लिए एक बेहतर कल के निर्माण की दिशा में सरकार आशा करती है कि हर देशवासी इस नीति का समर्थन करेगा।

(नेहरू केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं)



को शिक्षित और उनसे संवाद करना और अंत में सावधानीपूर्वक योजना बनाना और उसे अंजाम देना। यह सर्वोत्तम अभ्यास भारत के यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। लाभार्थियों की संख्या के अनुसार वैक्सीन की मात्रा के उपयोग, टीकाकरण सत्रों की संख्या, भौगोलिक प्रसार और क्षेत्रों की विविधता को कवर करने के आधार पर यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह टीकाकरण कार्यक्रम जो छह टीकों से शुरू किया गया था, 11 घातक बीमारियों से बचाव करता है। इसमें अब रोटावायरस डायरिया, हेमोफिलस इनफ्लुएंजा टाइप बी (एचआईबी) न्यूमोनिया के खिलाफ नए टीकों को भी जोड़ा जा रहा है। निमोनिया और मेनिंजाइटिस के खिलाफ

में सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ किया जो उत्तर-पूर्वी प्रांतों पर केंद्रित है। मिशन इंद्रधनुष के तहत अब तक देशभर में कुल 528 जिलों को कवर किया गया है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद देश में एक बच्चा हर रोज वैक्सीन से बचाव करने योग्य बीमारी के कारण अपना जीवन खो देता है।

भारत में पिछले छह वर्षों में रोग प्रतिरोधक टीकों और टीकाकरण के माहौल में व्यापक बदलाव देखा गया है। 2009 से पहले 1985 में छह रोगों मसलन टीबी, पोलियो, टेटस, खसरा आदि के खिलाफ यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम की स्थापना होने के बाद से कोई नई वैक्सीन राष्ट्रीय स्तर पर पेश नहीं की गई थी। वर्ष 2010-2016

लोकपाल का इंतजार

आखिरकार लोकपाल की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च अदालत के कठोर रुख ने सरकार की हीलाहवाली की हवा निकाल दी है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि लोकपाल अधिनियम में बिना किसी संशोधन के ही काम किया जा सकता है। दरअसल, अदालत इस बात से नाराज थी कि लोकपाल की नियुक्ति को क्यों अधर में रखा गया है। गौरतलब है कि लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर स्वयंसेवी संगठन कॉमन कॉज ने याचिका दायर कर रखी थी। देरी का कारण सरकार यह बताती रही कि नियुक्ति समिति की शर्त पूरी नहीं हो पा रही है। लोकपाल की नियुक्ति या चयन के लिए जो समिति गठित की जानी है उसके सदस्यों में लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष का भी प्रावधान है, जबकि मौजूदा लोकसभा में कोई नेता-प्रतिपक्ष नहीं है। कांग्रेस चौवालीस सदस्यों के साथ लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, पर सदन में उसके नेता मल्लिकार्जुन खरगे नेता-प्रतिपक्ष नहीं हैं। उन्हें नेता-प्रतिपक्ष मानने की कांग्रेस की अपील लोकसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दी थी। लेकिन केंद्र सरकार के इस तर्क या स्पष्टीकरण से सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं था।

कोई चार महीने पहले ही सुनवाई के दौरान उसने कहा था कि अगर नेता-प्रतिपक्ष से संबंधित समस्या दूर नहीं हो रही है तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ही नेता-प्रतिपक्ष होगा। और अब तो न्यायालय ने यह तक कह दिया कि लोकपाल अधिनियम में बिना संशोधन के ही काम किया जा सकता है। दरअसल, अगर सरकार का इरादा टालमटोल का न होता, तो नेता-प्रतिपक्ष की परिभाषा में ढील देने के लिए आवश्यक संशोधन कब का पारित हो चुका होता। अगर इस मामले में कोई संशोधन विधेयक लाया जाता, तो विपक्ष उसका तहेदिल से स्वागत ही करता। पर जो कानून 2013 में पारित हो चुका और जिसे भाजपा ने भी दोनों सदनों में अपना पूरा समर्थन दिया था, उस कानून को लागू करने के बजाय मोदी सरकार ने उसमें एक-दो नहीं, बीस संशोधन प्रस्तावित कर दिए। यह मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात सरकार के उस रवैए की याद दिलाता है जिसने कोई न कोई पेंच लगा कर सात साल तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने दी थी।

सवाल है कि जब सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए सीबीआई अधिनियम में (लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को ही नेता-प्रतिपक्ष मानने के लिए) संशोधन आसानी से हो गया, तो लोकपाल की बाबत ऐसा क्यों नहीं हो सका? सरकार लोकपाल अधिनियम के एक प्रावधान का हवाला दोहराती रही। यह तर्क था या बहाना? जिस सरकार ने अध्यादेश की झड़ी लगाने में संकोच नहीं किया, जिस पर राष्ट्रपति ने भी नाराजगी जताई थी, और जिस सरकार ने गैर-वित्तीय मामलों के विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश करने की ढिठाई दिखाई, वह लोकपाल की नियुक्ति क्या बस इसलिए नहीं कर पा रही थी कि नेता-प्रतिपक्ष की परिभाषा आड़े आ गई? जीएसटी विधेयक पास हो गया, जिसमें अड़ंगेबाजी की तोहमत सरकार विपक्ष पर मढ़ती रही, मगर क्या विडंबना है कि जिस संशोधन के लिए विपक्ष तैयार बैठा था, वह संसदीय समिति के बहाने अब तक अटका रहा है! जबकि इस सरकार को तीन साल होने को हैं। जो सरकार भ्रष्टाचार मिटाने का दम भरती हो, उसे तो लोकपाल की नियुक्ति के लिए तत्पर दिखना चाहिए था। देर से ही सही, अब उसे दुरुस्त कदम उठाना होगा।



Date: 28-04-17

India's population story

Even after fertility rates drop to replacement levels, the total population will still grow

Evidence from India's last Census in 2011, confirmed by data from the recent National Family Health Survey 2017 (NFHS-4), shows that fertility in India is fast approaching replacement levels. This means that couples will have children who will essentially replace their number, to stabilise population growth. The NFHS-4 shows that in the past decade, the average number of children per family has come down from 2.7 to 2.2. With replacement fertility being 2.1 children per woman, this is good news for the land and the people.

Even after fertility rates drop to replacement levels, the total population will still grow, and is likely to reach 1.7 billion by 2050. The thrust of this growth will come from the youth bulge, with 365 million (10-24 years old) already in, or soon to enter, their reproductive ages. Even if they have children only in numbers that replace themselves, the resultant growth due to such a large base of young people will drive the growth momentum for population. For India as a whole, 75% of population growth in the coming decade will be due to this momentum. In States like Assam, Gujarat and Haryana, which are about to reach replacement levels, it would be more effective to adopt policies for delaying childbearing rather than limiting births. Fertility reduction, where it still needs to take place, must come from increased availability and use of quality family planning services.

Demand-supply of working population

When States are clustered in terms of fertility levels, one foresees a predominantly youthful north and an ageing south. Most of the current and future demographic potential is locked in the northern States and largely located in Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, and Uttar Pradesh. In the south, there will be a dearth of young working people to keep up and expand the level of economic development. Investing in young people in the north to realise the demographic dividend will be a win-win situation for all India, north and south. From the policy perspective, this means that for India as a whole, it is time for the emphasis to be on momentum-focussed policies and programmes.

Several newspapers reported that the Prime Minister will soon chair a meeting of the National Population Commission, in order to take stock of the situation and chart out the path ahead, especially keeping population stabilisation in mind. This is welcome news indeed. The National Health Policy 2017 emphasises quality of care and commitment to sustainable development, and positions improved access, education and empowerment as the basis for population stabilisation. It is now for States to align their own health and population policies to the national ones. Diego Palacios is country representative, India, and country director, Bhutan, for the United Nations Population Fund
